भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 903

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**खून की कालाबाज़ारी**

**903. श्री परिमल नथवानीः**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खून की कमी/अनुपलब्ध्ता के कारण होने वाली मौतों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में खून की वार्षिक आवश्यकता और संग्रहण सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से खून की कालाबाजारी की खबरें आई है।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि महानगरों में धन अर्जन हेतु गरीब रक्तदानकर्ता के बहाने अपना खून बेचते है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक )

(क): ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्‍त नहीं हुई है।

(ख): लागू नहीं

(ग) एवं (घ): केवल उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की ओर से ही रक्‍त के ब्लैक मार्केटिंग की सूचना प्राप्‍त हुई है जैसा कि **अनुलग्‍नक** में विवरण दिया गया है।

(ड.): अभी तक ऐसी कोई घटना विभाग के ध्यान में नहीं लाई गई है।

**अनुलग्‍नक**

**उत्तर प्रदेश राज्य**

(1) जी एस वी एम मेडिकल कॉलेज, जिला कानपुर नगर से एक मामला ध्‍यान में लाया गया है।

(2) संदिग्ध अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है तथा मामला न्यायालयाधीन है। इस मामले से संबंधित विस्‍तृत विवरण इस प्रकार है: -

(i) कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाने में मुकदमा संख्या 91/2014 धारा 420/263, 270 और धारा 467/468/471 आईपीसी और 18/27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम दायर किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 9 दोषियों के खिलाफ न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया है, जबकि शेष 4 दोषियों के संबंध में जांच प्रक्रियाधीन है।

(ii) ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों को अन्‍य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा 01 लैब तकनीशियन तथा 01 परिचर के अनुबंध (रक्त परिवहन वैन) का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

\*\*\*\*